

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के अंक 203 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को **रु0 20** प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 के औसत सूचकांक 288 पर दिनांक : 01-10-2018 से 31-03-2019 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(288-203) \times 20 = 1700.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

| क्र० सं० | अनुसूचित नियोजन का नाम   | अधिसूचना संख्या एवं दिनांक                       | अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रु० |
|----------|--|--|--|
| 1        | 2  | 3  | 4  |
| 1        | रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन | 346 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001 दिनांक 6-3-13  | 1700.00  |
| 2        | प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन                                     | तदैव   | 1700.00  |
| 3        | मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन  | तदैव   | 1700.00  |
| 4        | वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन  | तदैव   | 1700.00  |
| 5        | फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन   | तदैव   | 1700.00  |
| 6        | परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन   | तदैव   | 1700.00  |
| 7        | पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन  | तदैव   | 1700.00  |
| 8        | डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन   | तदैव   | 1700.00  |
| 9        | सिले सिलाए कपडों की विनिर्माणशाला में नियोजन   | तदैव   | 1700.00  |
| 10       | बांघ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन       | 346 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00  |
| 11       | प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन                              | तदैव   | 1700.00  |
| 12       | फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन  | तदैव   | 1700.00  |

(2)


| 1  | 2   | 3   | 4       |
|----|---|---|---------|
| 13 | धातु उद्योग में नियोजन  | 346 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 14 | टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन                           | तदैव  | 1700.00 |
| 15 | ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।         | तदैव  | 1700.00 |
| 16 | उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है। | तदैव  | 1700.00 |
| 17 | सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन        | 347 / VIII / 13-228(श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13  | 1700.00 |
| 18 | पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।                                       | तदैव  | 1700.00 |
| 19 | चिकन के कार्य में नियोजन।   | तदैव  | 1700.00 |
| 20 | दियासलाई उद्योग में नियोजन।   | तदैव  | 1700.00 |
| 21 | आइसकैन्डी / आइस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन                              | तदैव  | 1700.00 |
| 22 | बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन                                   | तदैव  | 1700.00 |
| 23 | बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन   | तदैव  | 1700.00 |
| 24 | एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पादन विनिर्माणशालाओं में नियोजन  | तदैव  | 1700.00 |
| 25 | लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन   | तदैव  | 1700.00 |
| 26 | जिल्दसाजी में नियोजन।   | तदैव  | 1700.00 |
| 27 | कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।   | तदैव  | 1700.00 |
| 28 | पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन                                    | तदैव  | 1700.00 |
| 29 | कपडा छपाई में नियोजन  | 348 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 30 | क्लबों में नियोजन   | 349 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 31 | लोक मोटर परिवहन में नियोजन  | 351 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 32 | यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।  | तदैव  | 1700.00 |
| 33 | आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।  | तदैव  | 1700.00 |

(3)

| 1  | 2  | 3   | 4       |
|----|--|---|---------|
| 34 | निजी मुद्रणालयों में नियोजन  | 350 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 35 | वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन  | 352 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 36 | दुकानों में नियोजन।  | 352 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 37 | सिनेमा उद्योग में नियोजन।  | 353 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 38 | सिलाई उद्योग में नियोजन  | 354 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 39 | एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन   | 355 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 40 | छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।        | 356 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 41 | धर्मशालाओं में नियोजन  | 357 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 42 | निजी पुस्तकालयों में नियोजन  | 358 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 43 | होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन  | 359 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 44 | प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।                          | 360 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 45 | हौजरी उद्योग में नियोजन  | 362 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 46 | चाय बागान में नियोजन   | 361 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 47 | 1-किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में और   | 363 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 48 | 2-किसी तेल मिल में नियोजन  |   |         |
| 49 | वनिकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन | 364 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 50 | ईट भट्टा उद्योग में नियोजन   | 365 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1660.00 |

(4)

| 1  | 2  | 3   | 4       |
|----|--|---|---------|
| 51 | काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन  | 366 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 52 | तम्बाकू निर्माण में नियोजन   | 367 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 53 | कालीन बुनाई बुनकरों तथा कताई करने वालों को छोड़कर  | 368 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 54 | कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन | 369 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |
| 55 | ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन   | तदैव  | 1700.00 |
| 56 | खाण्डसारी में नियोजन   | तदैव  | 1700.00 |
| 57 | हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग  | 370 / VIII / 13-228 (श्रम)<br>/ 2001, दिनांक 6-3-13 | 1700.00 |

  
 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)  
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
 हल्द्वानी।


कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या : 3943 / 4-01 / 13

दिनांक : 28-9-2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराने का कष्ट करें तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

  
 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)  
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
 हल्द्वानी।

५८